

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

70AE 105001

प्ररूप -26

(नियम 4क देखिए)

कानपुर खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)



विधान परिषद उत्तर प्रदेश (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।

भाग—क

मैं जया सचान \*\*मुत्र/पुत्री/मत्ती महेन्द्र प्रताप सिंह आयु 30 वर्ष जो 270, विवेकानन्द नगर, अहरौली शेख, पुखराया, कानपुर देहात (डाक का पूरा पत्र लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथपत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/ करती हूँ :-

- (1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे निर्दलीय (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/\*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रही हूँ।  
(\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 208 भोगनीपुर विधान सभा उत्तर प्रदेश (निर्वाचन—क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0 108 के क्रम सं0 141 पर प्रविष्ट है।

जया सचान

9323

11-01-23

सुनील शर्मा का प्रधारण  
श्रीमद्भागवत द्वि संस्कृत  
भूषण द्वारा  
प्रधारण की समर्पणी

10

पुस्तकालय अड्डी (स्टाम्प विक्रेता)  
प्राप्ति-248/13-17 लाली जगदी 31-२-

पुस्तकालय अड्डी (स्टाम्प विक्रेता)  
प्राप्ति-248/13-17 लाली जगदी 31-२-

142 म/म

प्रधारण

०५ - लाली

(प्रधारण का स्थान)

०५ लाली फैलानी फैलाने छात्र समूहक  
(मास का एक फैलानी)

निम्नलिखी के उचितिलि का (मास का एक) छात्र समूह जगदी ३१-२-२३  
निम्न उचितिलि छात्रों द्वारा बिना विवरण द्वारा इनके उपरांत

क-प्रधारण

बिना एक ०५ लाली फैलाने वाले छात्र विष्णु लाली जगदी ३१-२-२३  
निम्न उचितिलि का एक छात्र समूह फैलाने वाले विष्णु लाली जगदी ३१-२-२३  
निम्न उचितिलि का एक छात्र समूह विष्णु लाली जगदी ३१-२-२३  
निम्न उचितिलि का एक छात्र समूह विष्णु लाली जगदी ३१-२-२३

जगदी (मास का एक अविविधाय) अविविधाय लिखा है। विष्णु लाली  
जगदी एक छात्र का उपरांत फैलाने का एक अविविधाय जगदी एक छात्र

(१) जाक एक अविविधाय अविविधाय लिखा है। विष्णु लाली जगदी ३१-२-२३  
जगदी एक छात्र का उपरांत फैलाने का एक अविविधाय जगदी एक छात्र


(3) मेरा/मेरे 6306132643 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं हैं/हैं और मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित हैं/हैं।

- (I) फेसबुक— नहीं है।
- (II) टिवटर— नहीं है।
- (III) व्हाट्सअप— 6306132643

(4) स्थाई खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रारिथ्ति:

क्रम सं०	नाम	पीएन (स्थाई खाता संख्या)	यह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं जया सचान	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
2	मति या पत्नी <u>प्रभाल कुमार</u> सचान	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
3	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अन्यर्थी कर्ता या सहदायिक हैं)	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
4	आश्रित-1 —	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
5	आश्रित-2	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य
6	आश्रित-3	शून्य	शून्य	(i) शून्य (ii) शून्य (iii) शून्य (iv) शून्य (v) शून्य

जमा संचान



टिप्पणी: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि 'कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित नहीं हुआ है'।

### (5) लंबित आपराधिक मामले

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है।  
 (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने 'लागू नहीं' होता है लिखें)
- या
- (ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामलों लंबित हैं: लागू नहीं  
 (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित है तो इस विकल्प चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्योरा दें)

### सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं०	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/ संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ)	व्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ.) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दें, जिसका आरोप विरचित किये गए थे	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(छ)	व्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/ पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें।)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



(6) दोषसिद्धि के मामले—

(i) मैं यह घोषणा करता / करती हूं कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं किया गया है।

(यदि अभ्यर्थी दोष सिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)  
या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है: लागू नहीं होता है।

(यदि अभ्यर्थी के दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं० दें अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(घ.)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिए दोषसिद्ध किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ङ.)	दोषसिद्ध के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(च.)	अधिरेपित दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(छ.)	क्या दोषसिद्ध के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ज.)	यदि उपरोक्त मद (छ.) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्ध के सभी मामलों के बारे में अपने राजनितिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

(ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हे यह मद लागू नहीं होता है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए।)

टिप्पण:

- ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
- प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।

ज्ञान भवान

3. व्यौर विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलो को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ— जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जमा/विनिधान की दिशा में क्रम सं. 0, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेन्जों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— “आश्रित” से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है (है), जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

टिप्पण 6— ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

**स्पष्टीकरण:** इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए “अपतट आस्तियों” पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत है :

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	10,000/- रुपया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंककारी, वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम।	1— बड़ोदा यू०पी० बैंक पुखरायां कानपुर देहात खाता सं० 51670100009943 रुपया 3,675.70/-  कुल जमा धनराशि— 3,675.70/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

जमा संबंध

(iii)	कपनियों / पारस्परिक निवियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवैचरों / शोयरों यूनिटों में विनियान के ब्योरे और रकम	लागू नहीं					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पलिसियों में विनियान के ब्योरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं दित्तीय लिखतों में विनियान और रकम	लागू नहीं					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणयों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लागू नहीं					
(vi)	मोटरयान वाहन / वायुयान/ याच/पोत (मेंक, राजस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू नहीं					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (मार और मूल्य के ब्योरों)	लागू नहीं					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य	लागू नहीं					
(ix)	सकल कुल मूल्य	4675.70/-	लागू नहीं				

#### ख— स्थावर आस्तियों के ब्योरे—

टिप्पण—1 — संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुये संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।


टिप्पण 3— व्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति पत्नी	या हिंदू अविभक्त कुदुंच	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
(i)	कृषि भूमि की अवरिथति (अवरिथतियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	व्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हों या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं



प्राप्ति सम्बन्धी

	विकास, सनिमण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(ii)	भैरव कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	वया विरासत में मिली हुई सम्पत्ति है (हॉ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	रवर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	विकास सनिमण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(iii)	बाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) —अवस्थिति (अवस्थितिया) — सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) —	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफीट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र(वर्गफीट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	वया विरासती सम्पत्ति है (हॉ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	रवर्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	विकास, निमाण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं



ज्यासचान

	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(iv)	जावासीय भवन (जिपार्टमेंट सहित) - जाविस्तियति (जाविस्तियदो) - सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्गफिट मे कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफिट मे कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	व्या दिरासी सम्पत्ति है (है या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	स्वजरित सम्पत्ति की दशा मे क्य की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्य के समय मूनि की लागत (क्य की दशा मे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से मूनि पर किया गया कोई विनियान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	अनुमानित वर्तमान मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि सम्पत्ति मे हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

8- मे, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण : कृपया वैक, संस्था, निकाय, या व्याप्तिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरे का अलग-अलग विवरण दे।)

क्रम सं०	विवरण	रक्ष्य	पति या पत्नी	हिंदू अविवाहित कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	वैक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य वैक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं


ज्योति शंकान

	पूर्वोक्त वर्णित से मिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तिको, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकृति कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	क— क्या अभिसाक्षी वर्तमान निवाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले 10 वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिमोग में है ? — लागू नहीं ख— यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात :— लागू नहीं (i) सरकारी आवास का पता : लागू नहीं (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के सम्बन्ध में, निम्नलिखित के मद्दे कोई शोध संदेय नहीं है— लागू नहीं	क्या / नहीं (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं)				
		(क) भाटक— लागू नहीं (ख) विद्युत प्रभार— लागू नहीं (ग) जल प्रभार, और— लागू नहीं (घ) ..... (तारीख) को टेलीफोन प्रभार— लागू नहीं (तारीख उस मास से जिसमें निवाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास के अंतिम तारीख या उसके पश्चात की तारीख होनी चाहिए) — लागू नहीं टिप्पणी— उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बावजूद संबंधित अभिकरणों का “बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत” किया जाना चाहिए।	लागू नहीं होता				
(iii)	सरकारी परवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अन्तर्गत वायुयान और हेलिकाप्टर भी है)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
		स्वयं	पति या पत्नी	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iv)	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(v)	जीएसटी शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(vi)	नगर पालिका / सम्पाति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(vii)	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(viii)	सभी सरकारी शोध्य का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि है तो अतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, और जिसके समक्ष यह सम्बित है, उल्लेख करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्योरे :

- (क) स्वयं — .....प्रा० नौकरी.....  
(ख) पति या पत्नी— .....अविवाहित.....

ज्या सचान



(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे:

- (क) स्वयं – .....प्रा० नौकरी.....
- (ख) पति या पत्नी– .....अविवाहित.....
- (ग) आश्रित के आय के श्रोत यदि कोई हो – लागू नहीं होता।

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं—

- (क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे— लागू नहीं होता।
- (ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे – लागू नहीं होता।
- (ग) आश्रित द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे— लागू नहीं होता।
- (घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पति या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे— लागू नहीं होता।
- (ङ.) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी का उसका पति पत्नी या आश्रित भागीदार है— लागू नहीं होता।
- (च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी का उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा है— लागू नहीं होता।

10— मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार हैः—

उच्चतम डिग्री – एम०ए०

कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर वर्ष— 2016

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुये विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे।)

भाग— ख

11— भाग—क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश


1	अभ्यर्थी का नाम	जया सचान	
2	डाक का पूरा पता	270, विषेकानन्द नगर, अहरोली शेख, पुखराया, कानपुर देहात	
3	निवासन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	208 भोगनीपुर विधानसभा उत्तर प्रदेश।	
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	निर्दलीय	
5	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	शून्य	
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।	शून्य	
7	रथायी लेखा सं० (पैन)	वह वर्ष जिसके लिये अतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्पित आय
	क— अभ्यर्थी—	शून्य	शून्य
	ख— पत्नी—	शून्य	शून्य

जया सचान

	ग— हिंदू अविभक्त कुटुंब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	घ— आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	आस्तियाँ और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपयों में व्यौरे				
	विवरण	स्वयं—	पत्नी—	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित—1
क	जंगम आस्तियॉ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियॉ				
(i)	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) क्रय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास/सनिमाण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य
	(iii) अनुमानित वर्तमान बाजार कीमतः— क— स्वार्जित आस्तियॉ (कुल मूल्य) ख—विरासती आस्तियॉ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व				
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है।				
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता: (प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुये, उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का व्यौरा दे। )				
	उच्चतम डिग्री — एमोएफ क्रानपुर विश्वविद्यालय कानपुर वर्ष— 2016				

### सत्यापन—

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि, इस शपथपत्र की विषय—वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :—




जपा सत्यापन

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितो के पास ऊपर भाग की मद 7 और 8 तथा आस्ति या देयता से भिन्न कोई भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या देयता नहीं है।

आज तारीख 11/1/23 को सत्यापित किया गया है।

ज्ञान २५-८९  
अभिसाक्षी

- टिप्पण 1: शपथपत्र नामांकन फाईल करने के अंतिम दिन को अपराह्न 3.00 बजे तक फाईल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण 2: शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण 3: सभी संभाओं को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4: शपथपत्र टकिंत या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण 5: शपथपत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शपथपत्र पर के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र पर सत्यापित किया जाता है, की स्ताम्प होनी चाहिए।



ज्ञान २५-८९